97 & 1997-98 stood at Rs. 164.03 crores, Rs. 181.82 crores and Rs. 193.28 crores respectively.

The State Government has proposed an allocation of Rs. 606.51 crore in the revised LTAP for 1998-99. As some of these schemes are demand driven and others involve relaxation of norms, the actual flow of funds would depend on progress of work, etc. However, in order to ensure a certain level of funds to these districts various steps have been taken including doubling of the first instalment of funds under Employment Assurance Scheme (EAS) and provision of an additionality of Rs. 37 crore in the Annual Plan, 1998-99 of Orissa for KBK districts. Further, Rs. 7 crore have been provided for emergency feeding programme and Rs. 2 crore for Mobile Health Units under Basic Minimum Services (BMS).

पूर्ण हो गई परियोजनाएं

1383. **श्री रामजीलाल:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है, जो समय से पूरी नहीं हो पा रही हैं तथा इस कारण उनकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) इस संबंध में विलंब के क्या करण हैं तथा सरकार द्वारा इसे दूर करने के लिए क्या विशेष प्रयास किए गए हैं; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जून, 1998 तक 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली 451 परियोजनाओं में से 202 परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही है। इन परियोजनाओं की लागत में उनकी 75488 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत की तुलना में 12037 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

(ख) विलंब के कारण परियोजना दर परियोजना अलग-अलग होते है। तथापि विलम्ब के कारणों में आम तौर पर भूमि अधिग्रहण में देरी, पर्यावरण संबंधी अनापत्ति मिलने में देरी, संरचनात्मक सामग्री का अभाव, पर्याप्त निधियों के उपलब्ध होने में विलंब, ठेका देने में देरी, ठेकेदारों की असफलता, उपस्करों की आपूर्ति में देरी तथा कानून और व्यवस्था की समस्याएं आती हैं। और भी देरी न हो यह ऐकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं:—

(1) समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासनिक मंत्रालय में शक्तिप्राप्त समिति गठित करना;

(2) परियोजना की अवधि तक के लिए केन्द्रक अधिकारी (नोडल आफिसर) की नियुक्ति करना;

(3) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा नियमित प्रबोधन करना;

(4) प्रभारी मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा विशेष निगरानी तथा

(ङ) भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिनियम और पुनर्वास पैकेज में संशोधन करना।

(ग) समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाता है और आगे विलंबन न हो, इसकी निगरानी की जाती है।

Foreign investment in space technology

1384. SHRI SATISHCHANDRA SITARAM PRADHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are considering any proposal to allow foreign investment in building and launching satellites as part of the new space policy;

(b) if so, the details of the policy under consideration/finalised by the Departments of Telecommunications and space; and

(c) the details of perspective plan formulated with projection of investment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): (a) Yes, Sir.

(b) The Government have decided to permit Foreign Direct Investment in Licencee companies operating Global